रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273327
CG-DL-E-11062026-273327

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2877] नई दिल्ली, बुधवार, जून 10, 2026/ज्येष्ठ 20, 1948
No. 2877] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 10, 2026/JYAISTHA 20, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2026

का.आ. 2973(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 394(अ), दिनांकित 28.05.1999 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (नया एनएच-35) के खंड को उत्तर राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. 2562 (अ), 31.07.2020 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 35 (पुराना एनएच-76) के डिजाइन किलोमीटर 148.400 से किलोमीटर 206.774 तक (मऊ जसरा खंड) के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के 49.870 किमी (तालिका-2) निवल सड़क खंड लंबाई के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के साठ प्रतिशत पर और चार लेन के 8.432 किमी (तालिका-2) निवल सड़क खंड लंबाई एवं 0.72 किमी [0.072 किमी की लंबाई, (तालिका-3)] के समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई) के उपयोग के लिए आधार दर के सौ प्रतिशत पर नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में निर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-।	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार शुल्क दर (रु. में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई (दूरी) हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है**	**दर, जिस पर फीस संदेय है।**
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में उमापुर गांव के निकट एया एनएच-35 (पुराना एनएच 76 का किमी 377.550) के किमी 199.550 पर	8.432 किमी	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	49.870 किमी	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3			
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	**समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई (किमी में)**	**समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)**	**दर, जिस पर फीस संदेय है**
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में उमापुर गांव के निकट एया एनएच-35 (पुराना एनएच 76 का किमी 377.550) के किमी 199.550 पर	0.072 किमी^	0.720 किमी	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^संरचनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1.	205.624	205.696	आरओबी	0.072
	जोड़			0.072

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 350.00 रु. (तीन सौ पचास रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4		
भुगतान-योग्य धनराशि	**अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**वैधता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 434.99 करोड़ रु. है। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. सीई-आरओ/एलकेओ/एनएच-35/2025-26/फीनोटीफिकेशन/688/ई-262546]

चेतना नंद सिंह,संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2026

S.O. 2973(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 394(E) dated 28.05.1999 issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch of National Highway 76 (New NH 35) in the State of Uttar Pradesh to the State Government of Uttar Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), and in supersession of the notification No. 2562 (E) 31.07.2020 the Central Government hereby levies the fee at 60% of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 49.870 km [Table- 2] for use of two lane with paved shoulder section, at 100% of the base rate specified in column (2) of the Table 1, for net road section length of 8.432 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 0.72 km [Table-3] (having length of 0.072 km) for use of four or more lane section on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of from design kilometer 148.400 to kilometer 206.774 of National Highway number 35 (Old NH-76) (Mau Jasra section) in the State of Uttar Pradesh and authorises the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table – 1

Types of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-Axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles' (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Toll Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s), namely: -

Table -2

Location of Toll Plaza (Chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
Km 199.550 of New NH 35 (km 377.550 of Old NH 76), Near Village Umapur in Prayagraj district of Uttar Pradesh	8.432 km	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above.
	49.870 km	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above.

2. In addition to the above, the following fee shall also be due and payable for use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structure into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:

Table-3			
Location of Fee Plaza	**Length of Structures (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
Km 199.550 of New NH 35 (km 377.550 of Old NH 76), Near Village Umapur in Prayagraj district of Uttar Pradesh	0.072 km^	0.720 km	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above.

^Details of the structures are as under:

Sr. No.	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From km	To km		
1	205.624	205.696	ROB	0.072
Total				**0.072**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 350 (Rupees Three Hundred Fifty only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-4		
Amount Payable	**Maximum number of one way journeys allowed**	**Period of validity**
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fees payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under National permits) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rates for that category of vehicle provided no service road or alternate road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highways to toll collecting agency, equal to the fees specified in rule 10 of the said rules

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discount will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed portion of the length of the project highway and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimate capital cost of the projects is Rs. 434.99 crore. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized.

[F. No. CE-RO/LKO/NH-35/2025-26/FeeNotification/688/E-262546]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.06.11 14:05:10 +05'30'